न्यायालय : राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(39)

प्रकरण क्रं. /2018 निगरानी

PBR/निगरानी/भोपाल/भू.रा/2018/1961

मोहम्मद इशरत खान (इशरत खान)
पुत्र स्व. मोहम्मद मुनब्बर खान
निवासी इस्लामपुरा, बैरसिया

— आवेदक

विरूद्ध

(1) श्रीमती रजिया बेगम उर्फ मेहरूननिवसा पत्नि अब्दुल रशीद खान निवासी निशात टाकित के पास सिरोंज

(2) श्रीमती सुरैया बेगम उर्फ आफताव बेगम पत्नि अब्दुल रज्जाक खान निवासी त्योंदा रोड मंडी के पास बासोदा

(3) श्रीमती फरजाना बेगम पत्नि खलीक उल्लाह खान निवासी लक्ष्मी टाकीज सज्जाद नर्सिग होम के पीछे भोपाल म.प्र.

— **अनावेदकगण**

(4) जलाल उद्दीन

(5) श्रीमती सीमा सुल्तान

(6) श्रीमती लुवना सुल्तान
तीनों पिता स्व. जहीर उद्दीन पुत्र सययद खान निवासी कोहेफिजा भोपाल

(7) इक्तेखार उददीन

(8) वसीम उद्दीन

तीनो पिता हाफिज मोहम्मद सुलेमान खान निवासी शेरपुरा बैरसिया

(9) सवीहा सुल्तान पत्नि रोशन खान निवासी गीतांजलि कॉलेज रोड डी. आई.जी. बंगला भोपाल

(10) मोहम्मद सरवर खान

(11) परवीन बानो पत्नि नोशाद खान निवासी बेंड मास्टर चौराहा भोपाल

(12) मसरत जहां पत्नि इकबाल खान निवासी सतपाडा जिला विदिशा

(13) निकहत जहां पत्नि निसार खान निवासी सतपाडा जिला विदिशा

(14) शाहीन पत्नि खालिद मिया निवासी ग्राम ढांढिया तहसील नसरूल्लागंज

(15) शहनाज बेगम पत्नि सैययद खान उर्फ गुड्डू निवासी खानूगांव भोपाल

– प्रोफोर्मा अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता 1959 विरूद्व आदेश दिनांक 05.03.2018 राजस्व प्र.क.0028/अ-06(2)/17–18 न्यायालय तहसीलदार बैरसिया जिला भोपाल (श्रीमती रजिया बेगम व अन्य विरूद्ध जलालउद्दीन व अन्य)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/भोपाल/भू.रा./2018/1961

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-04-2018	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्क पर विचार किया गया । तहसीलदार भोपाल के आदेश दिनांक 05-03-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन नहीं होने के कारण तहसीलदार द्वारा प्रकरण में कार्यवाही स्थगित नहीं की गई है । जिसमें प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	